दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 05.01.2024
निर्णय उद्घोषित: 22.01.2024

सि.वि.(मु.) 1821/2023, सि.वि.आ. 57677/2023

ध्रुव कुमार सिन्हा .....याचिकाकर्ता

द्वारा: डा. डी. के. शर्मा, श्री गौरव कुमार एवं श्री कृष्ण पराशर, अधिवक्तागण

बनाम

राज बाला तंवर .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री चैतन्य पुरी, श्री राहुल सैनी, सुश्री निशा पुरी एवं श्री धीरज, अधिवक्तागण

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री शालिंदर कौर

<u>निर्णय</u>

1. मूल प्रतिवादी अर्थात यहां याचिकाकर्ता, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली के विद्वान जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) - 03, पश्चिम (इसके बाद **"विचारण न्यायालय"** के रूप में संदर्भित) द्वारा वाणिज्यिक वाद सं. 57/2023 शीर्षक **'श्रीमती राज बाला तंवर बनाम ध्रुव कुमार सिन्हा'** में दिनांक 23.09.2023 के आदेश पर आक्षेप करते हुए वर्तमान याचिका दायर की है

जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने लिखित कथन के संशोधन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "सि.प्र.सं." के रूप में संदर्भित) के आदेश नियम 17 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया है।

2. उल्लेखनीय है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 23.09.2023 पर उसी आदेश के माध्यम से सि.प्र.सं. के आदेश नियम 6 के तहत गाँव बसई दारापुर, नई दिल्ली-110015 में स्थित विषय संपत्ति यानी डब्लूज़ेड-508बी/3 के कब्जे के लिए एक डिक्री पारित की, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा अन्य कार्यवाहियों में नियमित प्रथम अपील (वाणि.) दायर करके चुनौती दी गई है। इस प्रकार, मामला किराए एवं अन्य अंतःकालीन लाभ/नुकसान के बकाया के न्यायनिर्णयन हेतु विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है।

3. पक्षकारों के बीच विवाद विषय संपत्ति के कब्जे से संबंधित है यानी संपत्ति सं. ड्ब्ल्यूज़ेड-508बी/3, गाँव बसई दारापुर, नई दिल्ली-110015 के भूतल पर स्थित एक हॉल तथा किराए के बकाया की वसूली के लिए।

4. यह न्यायालय प्रासंगिक तथ्यों को उद्धृत करना उचित समझता है।

5. याचिकाकर्ता ने जनवरी, 2014 में प्रत्यर्थी से 10,000/- रुपये के मासिक किराए पर विषय संपत्ति किराए पर ली। किरायेदारी को समय-समय पर बढ़ाया/नवीनीकृत किया जाता था। दिनांक 20.01.2021 पर, याचिकाकर्ता और

प्रत्यर्थी के बीच 15,000/- रूपए प्रति माह पर 33 माह की अवधि हेतु एक नया किराया समझौता निष्पादित किया गया था।

6. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि अंततः, प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को विषय संपत्ति को खाली करने के लिए कहा, भले ही याचिकाकर्ता नियमित रूप से किराए का भुगतान कर रहा था और किराए के समझौते के नियमों और शर्तों का पालन कर रहा था। दिनांक 05.07.2022 पर, प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता को एक विधिक मांग नोटिस दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता ने किराए का भुगतान नहीं किया था, इस प्रकार, किरायेदारी समाप्त हो जाती है और याचिकाकर्ता को विषय संपत्ति का कब्जा प्रत्यर्थी को सौंपने के लिए कहा जाता है। दिनांक 21.07.2022 पर, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त नोटिस का जवाब दिया और उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता ने अप-टू-डेट किराए का भुगतान किया था और चूक नहीं की थी और इस प्रकार, उसकी किरायेदारी की कथित समाप्ति अवैध है।

7. दिनांक 29.08.2022 को, प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ संपत्ति के संबंध में कब्जे, किराए के बकाया की वसूली, अंतःकालीन लाभ, नुकसान आदि के लिए एक साधारण सिविल वाद नामतः सिविल. डी.जे. सं. 781/2022 दायर किया एवं इसके परिणामस्वरूप दिनांक 30.08.2022 को प्रत्यर्थी द्वारा तकनीकी आधार पर उपरोक्त वाद वापस ले लिया गया था। दिनांक 24.12.2022 पर,

प्रत्यर्थी ने उपरोक्त राहत की मांग करते हुए एक वाणिज्यिक वाद दायर किया, जिसे याचिकाकर्ता ने एक विस्तृत लिखित प्रस्तुति दायर करके चुनौती दी।

8. दिनांक 01.08.2023 को, याचिकाकर्ता ने लिखित कथन में संशोधन हेतु सि.प्र.सं. के आदेश नियम 17 सहपठित धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया। प्रत्यर्थी ने आवेदन का उत्तर दायर किया एवं उसी तिथि को विद्वान विचारण न्यायालय ने दलीलें सुनीं। विद्वान विचारण न्यायालय ने सि.प्र.सं. के आदेश नियम 17 सहपठित सि.प्र.सं. की धारा 151 के तहत आवेदन का निपटान किया एवं दिनांक 23.09.2023 पर पारित एक सामान्य आदेश के माध्यम से सि.प्र.सं. के आदेश नियम 6 के तहत कब्जे के मुद्दे को भी निर्णीत किया।

9. आक्षेपित आदेश सि.प्र.सं. के आदेश नियम 17 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके आवेदन पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है।

> *"9. प्रतिवादी द्वारा मांगे गए उन संशोधनों में से किसी को भी डब्ल्यू.एस. में शामिल करना आवश्यक नहीं है और प्रतिवादी द्वारा यह उचित नहीं है कि इन याचिकाओं को पहले से ही विस्तृत डब्ल्यू.एस. में क्यों नहीं दायर किया गया था। डब्ल्यूएस प्रतिवादी द्वारा 28.04.2023 पर दायर किया गया था, जबकि वर्तमान आवेदन 01.08.2023 पर दायर किया गया है। प्रतिवादी का अभिवचन कि डब्ल्यू.एस. को तत्काल दायर किया गया था, विश्वसनीय नहीं है क्योंकि प्रतिवादी को दिनांक 23.03.2023 को तामील कराया गया था जबकि डब्ल्यू.एस. को दिनांक 28.04.2023 को दायर किया गया था, जो कि 30 दिनों के बाद*

है। दिनांक 23.05.2023 को प्रतिवादी की ओर से यह दावा किया गया था कि पहले से ही डब्ल्यू.एस. 30 दिनों के भीतर दायर किया गया था, लेकिन डब्ल्यू.एस. अभिलेख पर नहीं पाया गया था एवं विद्वान पूर्ववर्ती न्यायालय ने प्रतिवादी को डब्ल्यू.एस. की नई प्रति दायर करने का अवसर दिया। इस बीच, ऐसा लगता है कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 28.04.2023 पर दायर डब्ल्यू.एस. का पता लगाया गया था और अभिलेख रखा गया था।

10. सि.प्र.सं. के आदेश 6 नियम 17 के तहत अभिकथनों का संशोधन वाद के शुरू होने से पहले किया जा सकता है, जहां मांगे गए संशोधन पक्षकारों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों का निर्धारण करने के उद्देश्य से आवश्यक है। आवेदन में उठाई गई याचिकाओं में से कोई भी, और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी को डब्ल्यू.एस. में संशोधन की मांग करने का अधिकार नहीं देता है। वादी के मकान संख्या और आधार संख्या में टंकण त्रुटियों को संशोधन के माध्यम से डब्ल्यू.एस. में अनुरोध किया जाना अनावश्यक है। वाद से पहले की मध्यस्थता प्रक्रियाओं के बारे में प्रतिवादी द्वारा उठाया गया विवाद भी उसके आवेदन से भी अबोध्य है। संबंधित डीएलएसए द्वारा जारी मध्यस्थता की गैर-प्रारंभिक आख्या से उजागर होता है कि मुकदमे से पहले मध्यस्थता 1 शुरू नहीं हो सकी क्योंकि प्रतिवादी को तामील नहीं की जा सकी थी। गैर-प्रारंभिक आख्या में उल्लिखित प्रतिवादी को नोटिस जारी करने की तारीख को वर्तमान आवेदन में प्रतिवादी द्वारा गलत अर्थ लगाने की मांग की गई है, जो आत्यन्तिक रूप से अनावश्यक हैं।

11. इसी तरह, प्रतिवादी की यह प्रार्थना कि किरायेदारी अंग्रेजी कैलेंडर महीने की 10 तारीख से अगले अंग्रेजी कैलेंडर महीने की 9 तारीख के बीच थी और वादी द्वारा हर महीने किराए की रसीद

जारी नहीं की जाती थी या कि वादी बाद में कई महीनों के लिए किराए की रसीदें एक साथ जारी करता था जिसका अभिवचन प्रतिवादी ने पहले ही अपने डब्ल्यू.एस. में किया है। प्रतिवादी ने पहले ही अपने डब्ल्यू.एस. में अभिवचन किया है कि प्रत्येक अंग्रेजी कैलेंडर महीने की 10 तारीख से किरायेदारी शुरू होती है। यहाँ तक कि वादी ने भी प्रत्येक महीने की 10 तारीख से अगले महीने की 9 तारीख तक किरायेदारी महीने का उल्लेख किया है। इसलिए इस संबंध में संशोधन की मांग करने का कोई औचित्य नहीं है।

12. जहाँ तक दिनांक 28.03.2022 की ऑडियो सी.डी. सं. 1 में संशोधनों की मांग का संबंध है, प्रतिवादी द्वारा डब्ल्यू.एस. के साथ या इस आवेदन के साथ आज तक ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर दायर नहीं किया गया है। इसलिए, संशोधनों में ऑडियो सीडी पर भरोसा करने की मांग की गई, बिना दायर किए और उस सीडी पर भरोसा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

13. अंत में, प्रतिवादी यह दावा करके वादी को कुछ राशियों के भुगतान को शामिल करना चाहता है कि वादी को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है और प्रतिवादी ने उक्त राशि पर ब्याज का हिसाब लगा कर उसे भी जोड़ा है और अब प्रतिवादी कथित रूप से भुगतान की गई अतिरिक्त राशि, उस पर ब्याज की वसूली करना चाहता है। यहां तक कि यह संशोधन भी अनावश्यक है क्योंकि प्रतिवादी पहले ही डब्ल्यू.एस. में समय-समय पर वादी को किराया देने का अनुरोध कर चुका है। यदि प्रतिवादी का मामला यह है कि उसने किराए का अधिक भुगतान कर दिया था जिसे उसे वसूल करने की आवश्यकता है, तो उसे प्रति दावा करना चाहिए था या मुजरा करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है।

14. इस प्रकार सि.प्र.सं. के आदेश 6 नियम 17 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन गुणागुण के बिना है और खारिज किया जाता है।"

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता द्वारा सि.प्र.सं. के आदेश नियम 17 के तहत अपने आवेदन में मांगे गए संशोधन मामले के उचित न्यायनिर्णयन हेतु अत्यंत आवश्यक थे, लेकिन याचिकाकर्ता के आवेदन को त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज कर दिया।

11. यह प्रस्तुत किया गया है कि मामला प्रारंभिक चरण में था और यहां तक कि प्रतिकृति भी दायर नहीं की गई है। लिखित कथन दायर करने की तात्कालिकता के कारण, याचिकाकर्ता द्वारा कुछ आवश्यक आपत्तियों और तथ्यों को छोड़ दिया गया था, जो मामले के उचित न्यायनिर्णयन हेतु आवश्यक थे। लिखित कथन में संशोधन की मांग करने वाले सि.प्र.सं. के आदेश नियम 17 के तहत वर्तमान आवेदन को स्थानांतरित करके इन्हें विस्तृत रूप से विद्वान विचारण न्यायालय के ध्यान में लाया गया था, लेकिन तब भी उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

12. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सि.प्र.सं. के आदेश नियम 17 के तहत याचिकाकर्ता का आवेदन पोषणीय नहीं था क्योंकि यह याचिकाकर्ता की मुकदमेबाजी को लम्बा खींचने की एक रणनीति थी और इसी तरह यह याचिका भी है। वह इस आधार पर भी याचिका का विरोध

करता है कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर लिखित बयान में ऐसी जानकारी का उल्लेख करने से परहेज किया जो उसके पास उपलब्ध थी जिसके लिए इस तरह के उचित परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता अपने लिखित बयान में जो संशोधन लाना चाहता है, वे विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष निर्णय लंबित रहने तक वाद के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आक्षेपित आदेश में विद्वान विचारण न्यायालय की टिप्पणियाँ इसकी पुष्टि करती हैं।

13. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता द्वारा लिखित कथन में संशोधन के लिए दायर आवेदन में तकनीकी खामियों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि आवेदन का मसौदा दिनांक 10.10.2022 के निर्देश संख्या 90/नियम/डीएचसी अनुपालन में तैयार नहीं किया गया है जो दिनांक 01.11.2022 से प्रभावी हुआ है।

14. याचिका में संशोधन के लिए सि.प्र.सं. के आदेश नियम 17 के तहत प्रावधान को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा कुछ संशोधनों के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था। संशोधन के बाद, अभिवचनों के संशोधन के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि न्यायालय यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि उचित परिश्रम के बावजूद, पक्षकार विचारण शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकता था।

15. ***सेलम अधिवक्ता बार एसोसिएशन, तमिलनाडु बनाम भारत संघ, एआईआर 2005 एससी 3353*** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> *"आदेश , नियम 17 अभिवचनों के संशोधन से संबंधित है। 1999 के संशोधन अधिनियम 46 द्वारा, इस प्रावधान को हटा दिया गया था। इसे 2002 के संशोधन अधिनियम 22 द्वारा फिर से प्रत्यावर्तित किया गया है, लेकिन विचारण शुरू होने के बाद संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति को रोकने के लिए एक अतिरिक्त प्रावधान के साथ, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि उचित परिश्रम के बावजूद, पक्षकार विचारण के शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकता था। परंतुक, कुछ हद तक, किसी भी स्तर पर संशोधन की अनुमति देने के लिए पूर्णत: विवेकाधीन को कम करता है। अब, यदि विचारण शुरू होने के बाद आवेदन दायर किया जाता है, तो यह दर्शाना होगा कि उचित परिश्रम के बावजूद, इस तरह के संशोधन की मांग पहले नहीं की जा सकती थी। इसका उद्देश्य तुच्छ आवेदनों को रोकना है जो विचारण में देरी करने के उद्देश्य से दायर किए जाते हैं।"*

16. ***बी. के. एन. पिल्लई बनाम पी. पिल्लई, एआईर 2000 एससी 614 (616)*** के मामले में, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से पाया कि अभिकथनों में उन सभी संशोधनों को अनुमति प्रदान की जानी चाहिए जो वर्तमान वाद में व्याप्त वास्तविक विवाद का पता लगाने के लिए आवश्यक हैं। प्रस्तावित संशोधन वाद हेतुक उस नए कारण को परिवर्तित या प्रतिस्थापित

नहीं करता है जिसके आधार पर मूल कारण उठाया गया था या बचाव किया गया था।

17. वाद के संशोधन के लिए लागू सिद्धांत लिखित कथन के संशोधन के लिए समान रूप से लागू होते हैं। न्यायालय लिखित-कथन के संशोधन की अनुमति देने में अधिक उदार हैं क्योंकि उस स्थिति में पूर्वाग्रह का प्रश्न उठने की संभावना कम होती है। प्रतिवादी को बचाव में एक वैकल्पिक अभिवचन देने का अधिकार है, जो हालांकि, एक अपवाद के अधीन है कि प्रस्तावित संशोधन द्वारा, दूसरे पक्ष को अन्याय के अधीन नहीं किया जाना चाहिए और यह कि वादी के पक्ष में की गई कोई भी स्वीकृति को वापस नहीं लिया जा सकता है। ***[नारायण पिल्लई बनाम परमेश्वरन पिल्लई (2000) 1 एससीसी 712]।***

18. जैसा कि ***बी. के. एन. पिल्लई (पूर्वोक्त)*** मामले में प्रतिपादित विधिक स्थिति से स्पष्ट है, पहली शर्त जिसे न्यायालय द्वारा संशोधन की अनुमति देने से पहले संतुष्ट किया जाना चाहिए, वह यह है कि क्या विवाद में वास्तविक प्रश्न के निर्धारण के लिए ऐसा संशोधन आवश्यक है। यदि वह शर्त पूरी नहीं होती है, तो संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दूसरी ओर, यदि पक्षकारों के बीच वास्तविक विवाद का निर्णय करने के लिए संशोधन आवश्यक है, तो संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही न्यायालय सोच सकता है कि संशोधन की मांग करने वाला पक्षकार संशोधित याचिका को साबित करने में समर्थ नहीं होगा। यह मूल परीक्षा है जो अभिवचनों के संशोधन की न्यायालय

की अपरिवर्तित शक्तियों को नियंत्रित करती है। जब यह इस मुख्य परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है तो किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ***[नरसिंग प्रोसाद बनाम स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड. एआईआर 1953 कैल 15 (17)]।***

19. यह ध्यान दिया जाए कि याचिकाकर्ता द्वारा सि.प्र.सं. के आदेश नियम 17 के तहत अपने आवेदन द्वारा प्रस्तावित संशोधन प्रारंभिक आपत्तियों, प्रत्यर्थी के मकान संख्या और आधार कार्ड संख्या में टंकण संबंधी त्रुटियों और कुछ अन्य संशोधनों के रूप में हैं, जिन पर दिनांक 23.09.2023 के आक्षेपित आदेश में विस्तार से चर्चा की गई है।

20. अब तक, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (जिसे इसके बाद **"अधिनियम"** के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 12क के गैर-अनुपालन पर आपत्ति जताते हुए संशोधन का संबंध है, याचिकाकर्ता ने प्रतिविरोध किया है कि प्रत्यर्थी ने अपने वाद में अभिवचन किए है कि पूर्व-संस्थित मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता के पूर्व-संस्थित मध्यस्थता के लिए उपस्थित नहीं होने के कारण वाद को गैर-प्रारंभिक मान के वापस कर दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन द्वारा से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति अस्पष्ट एवं संदिग्ध है। इसके अतिरिक्त, पूर्व-संस्थित मध्यस्थता के लिए उसकी उपस्थिति की आवश्यकता वाले नोटिस के जारी होने/जारी न होने के संबंध में याचिकाकर्ता की आपत्ति इस स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं है। विधि सुस्थापित है कि

अधिनियम की धारा 12क के तहत पूर्व-संस्थित मध्यस्थता अनिवार्य है। प्रक्रिया का पालन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप गैर-प्रारंभिक हो गया, और पूर्व-संस्थित मध्यस्थता को विफलता के रूप में प्रस्तुत करने का कारण पक्षकारों के बीच वास्तविक विवाद को निर्णीत करने के लिए आवश्यक नहीं है।

21. याचिकाकर्ता आगे संशोधन के माध्यम से लिखित बयान में सम्मिलित करना चाहता है, कि किरायेदारी अंग्रेजी कैलेंडर महीने की 10 तारीख से अगले अंग्रेजी कैलेंडर महीने की 9 तारीख के बीच थी, और किराए की रसीदें प्रत्यर्थी द्वारा हर महीने जारी नहीं की जाती थीं या वह बाद में कई महीनों के लिए एक बार में कई किराए की रसीदें जारी करती थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसा करके, प्रत्यर्थी यह साबित करना चाहता है कि याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2020 से किराए का भुगतान नहीं किया था, जबकि दिनांक 09.01.2021 तक किराया प्राप्त करने के बाद, प्रत्यर्थी ने दिनांक 20.01.2021 से शुरू होने वाले अतिरिक्त 33 महीनों के लिए एक नए किराए के समझौते को निष्पादित किया था।

22. विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में उचित रूप से पाया है कि याचिकाकर्ता (प्रतिवादी) ने पहले ही प्रत्येक अंग्रेजी कैलेंडर महीने की 10 तारीख से किरायेदारी शुरू करने के बारे में लिखित बयान में अभिवचन किया है। यहां तक कि इसमें प्रत्यर्थी (वादी) ने प्रत्येक महीने की 10 तारीख से अगले महीने की 9 तारीख तक किरायेदारी महीने का उल्लेख किया है।

23. जैसा कि लिखित कथन को पढ़ने से स्पष्ट होगा, लिखित कथन में अन्य प्रस्तावित संशोधनों का भी उल्लेख किया गया है। इसलिए, एक बार जब संशोधित किए जाने वाले तथ्यों का लिखित कथन में पहले ही उल्लेख हो जाता है, तो समान तथ्यों को शामिल करने के लिए लिखित कथन में संशोधन की मांग करने में कोई तर्क नहीं है, लेकिन अलग-अलग शब्दों में।

24. याचिकाकर्ता द्वारा लिखित बयान में किया जाने वाला अगला संशोधन ऑडियो सी.डी. नं.1 दिनांक 28.03.2022 है जिसमें किराया जारी करने (18 महीने के लिए) के संबंध में प्रत्यर्थी की स्वीकृति निहित है। जैसा कि आक्षेपित आदेश से स्पष्ट है, याचिकाकर्ता ने उक्त सी.डी. सं. 1, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख के तहत प्रमाण पत्र या उसकी प्रतिलिपि के साथ उसके आवेदन या लिखित बयान को अभिलेख पर नहीं रखा है। इसलिए, संबंधित दस्तावेजों की अनुपस्थिति में भी उक्त संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि किसी निश्चित तथ्य के वर्णन के लिए, याचिकाकर्ता इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर भरोसा करना चाहता है, जिसे अभिलेख पर नहीं रखा गया है।

25. इसके अलावा, याचिकाकर्ता लिखित कथन में कथित रूप से ऋण/प्रतिवादी को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि, उस पर ब्याज और भुगतान किए गए अतिरिक्त किराए के लिए ब्याज को शामिल करना चाहता है। याचिकाकर्ता कथित रूप से भुगतान की गई अतिरिक्त राशि और उस पर ब्याज की वसूली के लिए अपने लिखित कथन में संशोधन करना चाहता है।

26. याचिकाकर्ता द्वारा अभिवचन किया गया उपरोक्त संशोधन भी अस्वीकार्य है। यदि याचिकाकर्ता किसी ऋण के लिए या किसी अन्य शीर्ष के तहत अपने द्वारा किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली का दावा कर रहा है, तो उसे प्रतिदावे या मुजरे के माध्यम से ऐसा ही अभिवचन करना चाहिए था जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया है।

27. अंत में, याचिकाकर्ता की याचिका अस्पष्ट एवं अनिश्चित है जिसमें प्रत्यर्थी के 'केस इंफॉर्मेशन फॉर्मेट' में आधार कार्ड के सही पते और संख्या से संबंधित जानकारी में सुधार की मांग की गई है और इसलिए, अभिवचनों में संशोधन के लिए आधार नहीं बन सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी का पता त्रुटिपूर्ण रूप से डब्ल्यू.जेड.-717ए, गाँव बसई दारापुर, नई दिल्ली-110015 के रूप में उल्लिखित किया गया है, जबकि मतदाता पहचान पत्र पर उल्लिखित प्रत्यर्थी का वास्तविक पता डब्ल्यू.जेड.-417ए, बसई दारापुर, नई दिल्ली-110015 है।

28. यह न्यायालय लिखित कथन में उपरोक्त संशोधनों की मांग करने वाले याचिकाकर्ता की ओर से संबोधित प्रस्तुतियों को बनाए रखने में असमर्थ है।

29. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, लंबित आवेदनों के साथ याचिका को खारिज किया जाता है।

30. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें की गई टिप्पणियां विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मामले के गुणागुण पर एक अवलोकन के समान नहीं होंगी।

शालिंदर कौर, न्या

22 जनवरी, 2024/ *एस.एस.*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*